उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

पत्रांक :- य-दो-39/2017-18 395 /जि०यो०, दिनांक :- 24.8.18

प्रेषक,

उपायुक्त, लातेहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लातेहार।

विषय :- जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत योजना के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 738, दिनांक 09.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि कार्यालय आदेश ज्ञापांक 149, दिनांक 26.03.2018 के द्वारा यह निदेश दिया गया था कि वर्ष 2017-18 में जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत स्वीकृत पूल/पुलिया योजना हेतु कार्यालय द्वारा विमुक्त प्रथम किस्त की राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र, मापीपुस्त की प्रति आदि प्रपत्र समर्पित करने के पश्चात् ही द्वितीय किस्त में विमुक्त राशि का व्यय किया जाना था, परन्तु आपके द्वारा समर्पित माह-जुलाई, 2018 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन अवलोकन में यह पाया गया की प्रशासनिक स्वीकृत योजनाओं में अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर ही द्वितीय किस्त की राशि से व्यय किया गया है, जो कि अनुशासनहिनता है। योजना विवरणी निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रथम किस्त में विमुक्त राशि	द्वितीय किस्त में विमुक्त राशि	कुल विमुक्त राशि	एजेंसी द्वारा संवेदक को भुगतान की गई राशि	घटनोत्तर स्वीकृति की राशि (प्रथम किस्त से अधिक भुगतान की गई राशि)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रखंड बारियातु पंचायत अमरवाडीह ग्राम अमरवाडीह (फुलबसिया) बड़का बोन नाला पर पुलिया निर्माण।	2349600.00	1869493.00	4219093.00	2403696.00	54096.00
2	प्रखंड बालूमाथ छोटका ओकया-तुरी टांड़ नाला पर पुलिया निर्माण।	1847600.00	1469797.00	3317397.00	2094247.00	246647.00
3	प्रखंड गारू बारेसाड़ एवं मायापुर के बीच मायापुर में भेड़दिया नाला पर पूल का निर्माण।	2630300.00	2092495.00	4722795.00	3723305.00	1093005.00
4	प्रखंड लातेहार ग्राम+पंचायत- हेठपोचरा में नथू मिया रखात के पास पुलिया निर्माण।	1837000.00	1461504.00	3298504.00	2668384.00	831384.00
5	प्रखंड गारू बिचमरवा में बिचमरवा घासीटोला पथ में बिचमरवा नाला पर पूल निर्माण।	2576900.00	2050016.00	4626916.00	4164222.00	1587322.00
	कुल	11241400.00	8943305.00	20184705.00	15053854.00	3829454.00

उपर वर्णित कॉलम–7 में योजनावार अंकित राशि व्यय करने की घटनोत्तर स्वीकृति इस चेतावनी के साथ दी जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

आपके द्वारा कुल 05 पूल/पुलिया निर्माण योजना में से 04 को पूर्ण दर्शाते हुए सिर्फ पूर्णता प्रमाण पत्र आदि समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार क्रमांक–2 में अंकित योजना **"प्रखंड बालूमाथ छोटका ओकया–तुरी टांड़ नाला पर पुलिया निर्माण"** में गार्डवाल एवं एप्रोच पथ का कार्य अभी तक अपूर्ण है। पूर्ण की गई योजनाओं में किसी योजना का अंतिम मापीपुस्त की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। विदित हो की सभी योजनाएं एकरारनामा के अनुसार दिनांक 14.05.2018 तक ही पूर्ण की जानी थी।

अतः निदेश है कि क्रमांक–2 में अंकित योजना को भी प्राक्कलन अनुरूप पूर्ण करते हुए सभी 05 पूल/पुलिया की योजनाओं का मापीपुस्त की सत्यापित छायाप्रति के साथ द्वितीय किस्त में उपलब्ध करायी गयी राशि व्यय करने संबंधी अधियाचना 03 दिनों के अन्दर जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

23/08/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–39/2017–18 395 /जि०यो०, दिनांक :– 24.8.18

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०) कार्य प्रमंडल, लातेहार/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि कार्यालय आदेश ज्ञापांक 149, दिनांक 26.03.2018 के आलोक में द्वितीय किस्त में विमुक्त की गयी राशि में से व्यय करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

23/08/18

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(जिला योजना)

आदेश

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला अनाबद्ध निधि अन्तर्गत पेयजल संकट के निदान हेतु लातेहार जिला के 13 फोकस एरिया एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में 50 अदद् चापाकल अधिष्ठापन हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक 175/जि०यो०, दिनांक 19.04.2018 एवं ज्ञापांक 189/जि०यो०, दिनांक 02.05.2018 के द्वारा कुल 50 अदद् स्थलों की सूची अनुमोदित की गई थी।

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार के पत्रांक 890, दिनांक 09.06.2018 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पूर्व में स्वीकृत 07 स्थलों पर रिंग मशीन नहीं जाने के कारण उसके स्थान पर अन्यत्र 06 स्थलों की सूची उपलब्ध कराया गया है। जनहीत में पूर्व स्वीकृत 07 स्थलों के स्थान पर निम्न प्रकार से 06 नवीन स्थलों पर चापाकल अधिष्ठापन की स्वीकृति दी जाती है। विवरणी निम्नवत है :–

क्र० सं०	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम	टोला	योजना स्थल का नाम
पूर्व स्वीकृत स्थल का नाम –					
1	चन्दवा	माल्हन	गनियारी	दालचुंआ	दालचुंआ उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में चापाकल निर्माण।
2	चन्दवा	माल्हन	गनियारी	दालचुंआ	रितन गंझू के घर के पास।
3	चन्दवा	माल्हन	गनियारी	जगुआ खाड़	सरजु गंझू के घर के पास।
4	लातेहार	तरवाडीह	नरेशगढ़	पिछला टोला	धीरेन्द्र सिंह के घर के पास।
5	गारू	धांगरटोला	सुरकुमी	हेसवा	जगदीश सिंह के घर के पास।
6	महुआडांड़	नेतरहाट	कोरगी	बीजा टोला	सुख चरण किसान के घर के पास।
7	मनिका	कुमण्डीह	कुमण्डीह	लाईन टोला उत्तर	सत्यनारायण राम के घर के पास।
परिवर्तित स्थल का नाम –					
1	चन्दवा	बरवाटोली	मडमा	खास	उ०म०वि०, मडमा।
2	चन्दवा	बरवाटोली	मडमा	गंझू टोला	गुन्दरा गंझू के घर के पास।
3	चन्दवा	लाधुप	हेसला	बांझी टोला	रामप्यारे लोहरा के घर के पास।
4	चन्दवा	लाधुप	हेसला	दुधीमाटी	बीच बस्ती में।
5	महुआडांड़	अमवाटोली	गुडगुड टोली	खास	कार्मेल हॉस्पीटल, महुआडांड़।
6	गारू	धांगरटोला	गारू	खास	रेफरल हॉस्पीटल, गारू।

14/09/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–39/2017–18 411 /जि०यो०, दिनांक :– 15.9.18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग),/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14/09/18

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक :– य–दो–39/2017–18 411 /जि०यो०, दिनांक :– 18·9·18

प्रतिलिपि :– 1. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, लातेहार–जिला/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला–लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

14/09/18

उपायुक्त, लातेहार।